मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक: **586** / आर–702 / 2022 / ब–1 / चार, भोपाल, दिनांक: **17 / 06 / 2022**

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषयः– राज्य शासन के विभाग तथा विभाग से संबंधित संस्थान / प्राधिकरण / अभिकरण / सहकारी संघ मर्यादित/ बोर्ड/ निगम/ कल्याण मण्डल/परिषद/ फेडेरेशन/ कांउसिल एवं अकादमी के बैंक खातों में जमा आधिक्य राशि/अव्ययित राशि (केन्द्र अथवा राज्य की संचित निधि से प्राप्त) के युक्तियुक्तकरण के संबंध में।

संदर्भः–
1. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की पीएफएमएस यूनिट का परिपत्र दिनांक 23 / 03 / 2021
2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की पीएफएमएस यूनिट का परिपत्र दिनांक 30 / 06 / 2021
3. इस विभाग का परिपत्र कमांक 120/ 50 / चार / ब–7 / डीएमसी / 2019, दिनांक 10 / 03 / 2019

–::000::–

संदर्भित परिपत्र कमांक–1 की कंडिका–10 में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि बैंक खातें (एसएनए) में जमा करने पर उस पर अर्जित ब्याज को संबंधित संचित निधि (केन्द्र / राज्य) में जमा कराये जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में संदर्भित परिपत्र कमांक–2 के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि को अगले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जमा कराया जाना आवश्यक है।

2/ राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों / संस्थानों को केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु राशि संचित निधि से उनके बैंक खातों में उपलब्ध करायी जाती है। कतिपय योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन / कार्य अप्रारंभ होने / योजना के दिशा–निर्देशों में संशोधन के कारण उपरोक्त राशि बैंक खातों में अव्ययित पड़ी रहती है, जिस पर अर्जित ब्याज को इन उपकमों / संस्थानों द्वारा अपनी स्वयं की आय के रुप में दर्शाया जाता है। इसके फलस्वरुप अर्जित ब्याज पर नियमानुसार आयकर का भुगतान करना पड़ता है।

इस कारण राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3/ वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक–3 के द्वारा राज्य शासन के विभाग / उपक्रमों / संस्थाओं के बैंक खाते में जमा अव्ययित राशियों को राज्य की संचित निधि में जमा करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपके विभाग तथा विभाग से संबंधित संस्थान के बैंक खातों/एफडीआर/अन्य वित्तीय instruments में केन्द्र सरकार/राज्य शासन से प्राप्त अव्ययित राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि को कमशः मुख्य शीर्ष 0075–उपमुख्य शीर्ष 00– लघु शीर्ष 101 "अदावाकृत जमा राशि" एवं मुख्य शीर्ष 0049–ब्याज प्राप्तियां उपमुख्य शीर्ष 00–लघु शीर्ष 110– "नगद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज" में जमा कराये जाने का अनुरोध है। यदि भविष्य में राशि की आवश्यकता हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा उचित कारण बताते हुये आगामी बजट में यथोचित प्रावधान कराया जा सकता है।

4/ भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में एसएनए खाते की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021–22 से लागू की गई है। अतः इस अवधि की राशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाए। वित्तीय वर्ष 2021–22 से पूर्व की अवधि में बैंक खातों में जमा अव्ययित राशि के लिए कंडिका 3 अनुसार कार्यवाही की जाए ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा0कमांकः **587/702/2022/ब–1/चार,** भोपाल, दिनांक **17/06/2022**

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त सचिव/संचालक बजट/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

F. No. 1(13)PFMS/FCD/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
PFMS Division

Block No.11, 5th Floor,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi, dated 23.03.2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released

The General Financial Rule 232(v) prescribes the release of funds to the State Governments and monitoring utilization of funds through PFMS. For better monitoring of availability and utilization of funds released to the States under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and to reduce float, the Department of Expenditure vide letter of even number dated 16.12.2020 had shared a draft modified procedure for release of funds under CSS with all the State governments and Ministries/Departments of the Government of India to seek their comments. The comments received from the State governments and Ministries/Departments of the Government of India were considered and the procedure has been suitably modified.

With a view to have more effective cash management and bring more efficiency in the public expenditure management, it has been decided that the following procedure will be followed by all the State Governments and Ministries/Departments of the Government of India regarding release and monitoring utilization of funds under CSS with effect from 1st July, 2021:

1. Every State Government will designate a Single Nodal Agency (SNA) for implementing each CSS. The SNA will open a Single Nodal Account for each CSS at the State level in a Scheduled Commercial Bank authorized to conduct government business by the State Government.

2. In case of Umbrella schemes which have multiple sub-schemes, if needed, the State Governments may designate separate SNAs for sub-schemes of the Umbrella Scheme with separate Single Nodal Accounts.

3. Implementing Agencies (IAs) down the ladder should use the SNA's account with clearly defined drawing limits set for that account. However, depending on operational requirements, zero-balance subsidiary accounts for each scheme may also be opened for the IAs either in the same branch of the selected bank or in different branches.

4. All zero balance subsidiary accounts will have allocated drawing limits to be decided by the SNA concerned from time to time and will draw on real time basis from the Single Nodal Account of the scheme as and when payments are to be made to beneficiaries, vendors etc. The available drawing limit will get reduced by the extent of utilization.

5. For seamless management of funds, the main account and all zero balance subsidiary accounts should preferably be maintained with the same bank. However, State Government may choose different banks for opening Single Nodal Accounts of different CSS.

6. Only banks having a robust IT Systems and extensive branch network should be chosen for opening the Single Nodal Account of each CSS. The bank chosen should have the facility to open the required number of subsidiary zero balance accounts and a robust MIS for handling accounting and reconciliation at each level. The bank should also provide a user friendly dashboard to officers at various levels to monitor utilization of funds by IAs.

7. The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the IAs who should be able to draw funds on real time basis from the SNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts.

8. The Ministries/Departments will release the central share for each CSS to the State Government's Account held in the Reserve Bank of India (RBI) for further release to the SNA's Account.

9. Funds will be released to the States strictly on the basis of balance funds of the CSS (Central and State share) available in the State treasury and bank account of the SNA as per PFMS or scheme-specific portals fully integrated with PFMS in consonance with rule 232(V) of the General Financial Rules, 2017.

10. The SNAs shall ensure that the interest earned from the funds released should be mandatorily remitted to the respective Consolidated Funds on pro-rata basis in terms of Rule 230(8) of GFR, 2017. Interest earned should be clearly and separately depicted in PFMS, scheme-specific portals integrated with PFMS and in MIS provided by the banks.

11. Except in case of schemes/sub-schemes having no State share, States will maintain separate budget lines for Central and State Share under each CSS in their Detailed Demand for Grants (DDG), and make necessary provision of the State share in the State's budget. While releasing funds to SNA, State's Integrated Financial Management Information System (IFMIS) should provide these budget heads and the same should be captured in PFMS through treasury integration.

12. In the beginning of a financial year, the Ministries/Departments will release not more than 25% of the amount earmarked for a State for a CSS for the financial year. Additional central share (not more than 25% at a time) will be released upon transfer of the stipulated State share to the Single Nodal Account and utilization of at least 75% of the funds released earlier (both Central and State share) and compliance of the conditions of previous sanction. However, this provision will not be applicable in case of schemes where a different quantum of release has been approved by the Cabinet.

13. After opening of Single Nodal Account of the scheme and before opening zero balance subsidiary account of IAs or assigning them drawing rights from SNA's account, the IAs at all levels shall return all unspent amounts lying in their accounts to the Single Nodal Account of the SNA. It will be the responsibility of the State government concerned to ensure that the entire unspent amount is returned by all the IAs to the Single Nodal Account of the SNA concerned. For this, the State Governments will work out the modalities and the timelines and will work out Central and state share in the amount so available with IAs.

SNAs will keep a record of unspent balance lying in the account of IAs and the amount refunded by IAs.

14. Refund of balance amount by IAs and the amount available in the SNA's account should be taken into account by the Program Division of the Ministry/Department while releasing funds under the scheme. Concerned SNAs shall keep a record of the unspent amount lying in the account of IAs to be deposited in the Single Nodal Account while assigning drawing rights to IAs.

15. Ministries/ Departments will ensure that releases under all CSS are made strictly as per the actual requirement on the ground, without resulting in any material float with the implementing agencies at any level.

16. The State Government will transfer the Central share received in its account in the RBI to the concerned SNA's account within a period of 21 days of its receipt. The Central share shall not be diverted to the Personal Deposit (PD) account or any other account by the State Government. Corresponding State share should be released as early as possible and not later than 40 days of release of the Central share. The funds will be maintained by the SNA in the Single Nodal Account of each CSS. State Governments/SNAs/IAs shall not transfer scheme-related funds to any other bank account, except for actual payments under the Scheme.

17. State Governments will register the SNAs and all IAs on PFMS and use the unique PFMS ID assigned to the SNA and IAs for all payments to them. Bank accounts of the SNAs, IAs, vendors and other organizations receiving funds will also be mapped in PFMS.

18. Payments will be made from the zero balance subsidiary accounts up to the drawing limit assigned to such accounts from time to time. Transactions in each Subsidiary Account will be settled with the Single Nodal Account daily through the core banking solution (CBS) on the basis of payments made during the day.

19. SNAs and IAs will mandatorily use the EAT module of PFMS or integrate their systems with the PFMS to ensure that information on PFMS is updated by each IA at least once every day.

20. SNAs will keep all the funds received in the Single Nodal Account only and shall not divert the same to Fixed Deposits/Flexi-Account/Multi-Option Deposit Account/Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) Account etc.

21. The State IFMIS should be able to capture scheme component-wise expenditure along with PFMS Scheme Code and Unique Code of the Agencies incurring the expenditure. State Governments will ensure daily uploading/sharing of data by the State IFMIS/Treasury applications on PFMS. PFMS will act as a facilitator for payment, tracking and monitoring of fund flow.

22. Release of funds by the Ministries/Departments to States towards the end of the financial year should be avoided to prevent accumulation of unspent balances with States. Ministries/Departments will arrange to complete the release well in time so that States have ample time to seek supplementary appropriations from their respective legislatures, if required, and account for all the releases in the same financial year.

23. In case of CSS having no State share and where as per the scheme guidelines, funds are released by the Central Ministry/Department directly to the districts/blocks/Gram Panchayats/Implementing agencies, the requirement of notifying a single Nodal Agency and opening of a Single Nodal Account at the State level may be waived by the Secretary of the Central Ministry/Department concerned in consultation with the Financial Adviser.

24. UTs without legislature work directly in PFMS. Therefore, there is no need for them to open a Single Nodal Account. They will ensure that the funds are released to the vendors/beneficiaries 'just in time'. In case funds are to be released to any agency as per scheme guidelines, provision of Rule 230 (vii) of GRF 2017 will be strictly followed to avoid parking of funds, with agencies.

25. Ministries/Departments shall undertake monthly review of the release of funds (both the Central and State Share) from the State treasury to the SNA, utilization of funds by SNAs and IAs and outputs/outcomes vis-à-vis the targets for each CSS.

This issues with the approval of Secretary (Expenditure) and shall supersede all earlier guidelines on this subject.

23/3/21

(Subhash Chandra Meena)
Director (FCD)
011-24368543
E-mail: subhash.meena@nic.in

To,

1. All Secretaries to the Government of India
2. All Financial Advisors to the Government of India
3. All Pr. CCAs/CCAs of all Ministries/Departments

Copy to:

1. PSO to Secretary (Expenditure)
2. PPS to CGA
3. Sr.PPS to Addl. Secretary (Expenditure)
4. PSO to Addl. Secretary (Pers)
5. Sr. PPS to JS (PFC-II)
6. Sr. PPS to JS(PF-S)

F.No.1(13)/PFMS/FCD/2021
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
******

5th Floor, Block 11, CGO Complex,
New Delhi, the 30th June, 2021

To

Chief Secretaries/ Principal Secretaries (Finance) : All States/ UTs

Subject : Procedure for Release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released

Madam/ Sir,

Please refer to para 10 of this Department's letter of even number dated 23rd March, 2021 wherein it is stated that :

"The SNAs shall ensure that the interest earned from the funds released should be mandatorily remitted to the respective Consolidated Funds on pro-rata basis in terms of Rule 230(8) of GFR, 2017. Interest earned should be clearly and separately depicted in PFMS, scheme-specific portals integrated with PFMS and in MIS provided by banks."

2. In this regard, it is clarified that the Single Nodal Agency (SNA) of each CSS in the State shall compute the total interest earned out of the funds received in its account (both from the Central Government and the State Government) in the preceding financial year in the 1st week of April. The interest earned will be apportioned by the SNA between the Central and the State Government as per the approved funding pattern of the CSS and shall be deposited in the respective Consolidated Funds. In the current financial year (2021-22) such calculation may be done as on 15th October, 2021.

3. For Central Government, the amount shall be deposited in the Major Head 0049, Sub-major Head - 01, Minor Head (i.e.0049-01-800) by the States and in the Major Head 0049, Sub-major Head-02, Minor Head 800 (i.e. 0049-02-800) by the UTs with Legislature.

4. An undertaking shall be furnished to this effect to the Ministry concerned of the Central Government by the Secretary of the State Government in the enclosed format every year along with the proposal for release of the 1st instalment of funds under the CSS. For the current financial year (2021-22) such undertaking shall be furnished by 31st October, 2021.

5. This issues with the approval of the competent authority.

(Abhay Kumar)
Director
Tele No. 24360647

Government of ______________________ (State/ UT)

Department of ________________________

No.__________ Dated :

UNDERTAKING

It is hereby certified that an amount of Rs.______ was earned as interest from the funds received in the Single Nodal Account of the Centrally Sponsored Scheme ______________________ (name of scheme) during the financial year ________. The funds under this CSS are shared between the Centre and the State/UT, in the ratio __:___. Therefore, out of the interest earned during the financial year, an amount of Rs.______ has been deposited in the Consolidated Fund of India vide No. ______ dated ______ and an amount of Rs.______ has been deposited in the Consolidated Fund of the State/ UT.

Name :

Designation :

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

कमॉक : 120/आर. 50 /चार/ब–7/डीएमसी 2019 भोपाल दिनांक 10 मार्च 2019
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
शासन के समस्त विभागाध्यक्ष,
राज्य शासन के समस्त निगम/मंडल/
बोर्ड एवं अन्य उपक्रम मध्यप्रदेश ।

विषय :– राज्य शासन के वित्तीय प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश ।

000

राज्य शासन के सुचारू वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1/– <u>व्यक्तिगत जमा पी0डी0/के–डिपॉजिट में जमा अव्ययित राशियॉ</u> :– वित्त विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों को पी.डी. (व्यक्तिगत जमा) खाता/के–डिपॉजिट खोले जाने की अनुमति समय–समय पर दी गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की राशि रखी गई है । इन योजनाओं के संचालित नहीं रहने अथवा पूर्ण हो जाने के उपरांत शेष अव्ययित राशि (यथाउपरांत, "अव्ययित राशि") राज्य की संचित निधि में जमा कर देना चाहिए।

1.1 – राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कई विभागों द्वारा पी.डी./के–डिपॉज़िट खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि को संचित निधि में जमा नहीं कराया गया है। अतः विभाग अंतर्गत प्रचलित समस्त पी.डी. खाते/के–डिपॉजिट की समीक्षा की जाकर निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

(i) जिन पी.डी. खाते/के–डिपॉजिट में केवल अव्ययित राशि रखी है, उक्त राशि को राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाकर ये खाते बंद किये जायें।

(ii) जिन पी.डी.खाते में अव्ययित राशि के साथ अन्य प्रचलित योजनाओं की राशि रखी है, वहॉ अव्ययित राशि की गणना कर उक्त राशि को राज्य की संचित निधि में जमा कराया जायें।

(iii) उपरोक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 25 मार्च 2019 के पूर्व कर ली जाये तथा जानकारी संलग्न प्रारूप–1 में वित्त विभाग को भेजी जाये । इस दिनांक तक जानकारी प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि जिन पी.डी. खाते/के–डिपॉजिट में विगत 03 वर्षो में कोई संव्यवहार नहीं हुआ है, वे अव्ययित राशि से संबंधित है तथा दिनांक 28 मार्च, 2019 को ऐसे खाते कोषालय स्तर से बंद कर इन खातों में उपलब्ध राशियों को राज्य की संचित निधि में जमा कर दिया जाएगा ।

1.2 उपरोक्तानुसार संचित निधि में जमा कराई गई राशि की विभाग को यदि भविष्य में आवश्यकता होती है, तो वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित बजट प्रकिया अनुसार आवश्यक वित्तीय संसाधन विभाग को उपलब्ध कराए जा सकेंगे ।

2/– <u>राज्य शासन के विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बैंक खातों में जमा राशियॉं</u> :– विभागों द्वारा राज्य की संचित निधि से आहरित राशियों को बैंक खातों में जमा किये जाने हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जाना अनिवार्य है । बैंक खाते खोलने के लिए भी वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक हैं । ऐसे खातों में न्यूनतम आवश्यक सीमा में ही राशि रखी जानी चाहिए । इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :–

(i) विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ कार्यालय स्तर पर संचालित जिन बैंक खातों के लिए वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, उनकी संपूर्ण शेष राशियों को दिनांक 25 मार्च 2019 के पूर्व राज्य की संचित निधि में जमा कर ऐसे खाते बंद करवाएं जाए ।

(ii) अनुमति प्राप्त बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशियों को दिनांक 25 मार्च 2019 के पूर्व राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाए ।

(iii) अनुमति प्राप्त बैंक खातों में न्यूनतम आवश्यकता से अधिक राशि को दिनांक 25 मार्च 2019 के पूर्व राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाए।

(iv) इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रमाणीकरण सहित दिनांक 25 मार्च 2019 तक संलग्न प्रारूप–2 में वित्त विभाग को भेजी जाये ।

(v) दिनांक 25 मार्च 2019 तक उक्त निर्देश का पालन न किये जाने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त निर्देश निगम/मंडल/आयोग/विश्व विद्यालय/स्थानीय संस्थाएँ आदि अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा खोले गए ऐसे बैंक खातों जिनमें मात्र उनके स्वंय के स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि रखी जाती है, पर लागू नहीं होंगे। यदि ऐसी संस्थाओं के किसी बैंक खातों में संचित निधि से प्राप्त शासकीय योजनाओं की अव्ययित राशियॉं रखी है, तो उसका आंकलन कर अव्ययित राशि को राज्य की संचित निधि में जमा करने की कार्यवाही करें।

//3//

3/– <u>राज्य शासन के उपकमों, संस्थानों द्वारा बैंक खातों में जमा राशियॉ</u> :–

(i) राज्य शासन के अनेक संस्थानों, उपकमों आदि द्वारा बैंक खातों में काफी अधिक राशि रखी गई है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुसार प्रदेश की जनता से प्राप्त राशि का अधिकाधिक उपयोग प्रदेश के विकास में होना चाहिए। ऐसे संस्थानों की जमा राशियॉ सामान्यतः दो प्रकार की हो सकती हैं :–

(a) स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त राशि

(b) केन्द्र/राज्य शासन की संचित निधि/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि ।

(ii) संस्थानों द्वारा बैंकों में विनियोजित/जमा राशियों पर पृथक–पृथक दरों पर ब्याज प्राप्त होता है, एवं चालू खातों में कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता। संभव है कुछ संस्थानों की राशि अपेक्षाकृत कम ब्याज पर सावधि जमा खाते हों। राज्य शासन द्वारा तरलता प्रबंधन एवं व्यय की पूर्ति के लिए प्राप्त किये जा रहे ऋण की ब्याज दर, उपरोक्त ब्याज दरों से अपेक्षाकृत अधिक रहती है, जिससे राज्य शासन पर ब्याज भुगतान का अतिरिक्त व्यय भार उत्पन्न होता है। अतः ऐसी राशियों के लिए कोषालयों में विशेष खाते (Special Deposit Account) खोलने की व्यवस्था की गई है, जिसके निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं । ऐसे खातों में केन्द्र/राज्य शासन की संचित निधि/अन्य स्त्रोतो से प्राप्त राशि के जमा पर ब्याज देय नहीं होगा, परंतु स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त राशि को जमा करने पर ब्याज दिया जाएगा । यह ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की तत्समय प्रचलित सावधि जमा दर + 0.5 % अथवा राज्य शासन की उधार दर (Borrowing rate), इन दोनों में जो भी कम हो, होगी । उपरोक्त व्यवस्था से राज्य शासन तथा संस्थानों/उपकम दोनों पूर्व की अपेक्षा लाभप्रद स्थिति में रहेंगे।

(iii) उपरोक्तानुसार बैंक खातों में उपलब्ध राशियों को 31 मार्च 2019 तक कोषालय में विशेष खातों में जमा कराया जाए ।

4/– <u>शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा लाभांश/आधिक्य राशि राज्य की संचित निधि में जमा करना</u> :– शासन की कार्यपालिक/विधायी शक्तियों के अंतर्गत अनेक संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा राजस्व/पूंजीगत संसाधन उपलब्ध कराये गये है, अथवा विशेष प्राधिकार प्रदान किया गया है । राज्य शासन के कल्याणकारी कार्यो के लिए वित्तीय उपलब्धता बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं की सम्यक भागीदारी की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती हैं:–

(i) ऐसे संस्थान, जिनमें राज्य शासन की अंशपूजी है तथा संस्थान द्वारा मुख्यतः व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित की जाती हैं, द्वारा लाभांश राज्य शासन को दिया जाये ।

(ii) ऐसे संस्थान, जो नियामक स्वरूप के है या सर्विस प्रोवाईडर आदि का कार्य करते है, द्वारा उपलब्ध आधिक्य राशि (Disposable surplus) को राज्य शासन की संचित निधि में जमा कराया जावे।

(iii) संस्थानों के वर्गीकरण तथा लाभांश या आधिक्य राशि (Disposable surplus) का निर्धारण निम्नांकित समिति द्वारा किया जावेगा :–

(a) भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	–	अध्यक्ष
(b) भारसाधक सचिव (प्रशासकीय विभाग)	–	सदस्य
(c) आयुक्त, संस्थागत वित्त	–	सदस्य
(d) भारसाधक अधिकारी (संबंधित संस्थान)	–	सदस्य
(e) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई व्यक्ति	–	सदस्य

समिति में सहमति नहीं होने पर वित्त विभाग द्वारा प्रकरण, मुख्य सचिव को भेजा जाएगा एवं मुख्य सचिव द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । जहॉ आवश्यक हो, प्रशासकीय विभाग समिति/मुख्य सचिव के निर्णय के पालन हेतु संबंधित नियम/ अधिनियम में यथोचित प्रावधान करने हेतु कार्यवाई करेंगें।

5/– <u>**शासकीय नियुक्तियों में प्रकिया का युक्तियुक्तकरण**</u> :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कतिपय विभागों द्वारा नवीन पद निर्मित कराए गए है। उक्त पदों पर तथा पूर्व में निर्मित पदों पर नियुक्ति विभिन्न विभागों द्वारा अलग–अलग प्रकियाओं द्वारा की जा रही है। इस हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रकिया के युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में समस्त नवीन नियुक्तियों के संबंध में कार्यवाही के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जावे।

6/– <u>**पूंजीगत कार्यो का प्रबंधन**</u> :– प्रदेश में पूंजीगत कार्यो के कियान्वयन में निरंतरता बनी रहे तथा वित्तीय संसाधनों के अभाव में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि नहीं हो, इस उद्‌देश्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(i) <u>प्रशासकीय स्वीकृति/कार्यादेश स्वीकृति</u> – वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से तीन सूचकांक तय किये जाते हैं, जिनकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता = वार्षिक बजट अनुमान (BE) में पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध राशि

सूचकांक–1 = (विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों की सकल राशि – इन स्वीकृतियों के विरूद्व वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में व्यय)/(वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता)

सूचकांक–2 = (विभाग द्वारा स्वीकृत टेण्डर अन्तर्गत संविदा के लंबित दायित्व + भूअर्जन की राशि + वन विभाग को दी जाने वाली राशि – इन स्वीकृत टेण्डरों के विरूद्व वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में व्यय) /(वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता)

सूचकांक–3 = (विभाग द्वारा स्वीकृत टेण्डर अन्तर्गत संविदा के लंबित दायित्व में दी जाने वाली राशि – इन स्वीकृत टेण्डरों के विरूद्व वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में व्यय) / (वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता)

इन सूचकांकों की अधिकतम सीमा प्रमुख निर्माण विभागों के लिए निम्न तालिका अनुसार निर्धारित की जाती हैं :–

अधिकतम सीमा	जल संसाधन	नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण	लोक निर्माण विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सूचकांक–1	6	5	4	4
सूचकांक–2	4	4	3.5	3
सूचकांक–3	3	3	3	3

उपरोक्त 04 विभागों को छोड़कर अन्य सभी विभागों के लिए सूचकांक–1 की अधिकतम सीमा 3 (तीन) नियत की जाती है । सूचकांक–2 एवं सूचकांक–3 ऐसे विभागों पर लागू नहीं होगे ।

प्रशासकीय स्वीकृति/कार्यादेश जारी करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करेगें कि इन सूचकांको का माप (Value) उपरोक्त तालिका में इन सूचकांको के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण – उपरोक्त गणना में प्रशासकीय स्वीकृतियॉ/स्वीकृत टेडर/वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता की गणना में अस्थाई/एकबारगी(One Time) स्वरूप के संसाधन तथा इनसे होने वाले व्ययों को शामिल न किया जाये । उदाहरण :– एक विभाग को वार्षिक बजट में स्थाई स्वरूप की योजनाओं के लिए रूपये 250 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है तथा जिला माईनिंग फण्ड से रूपये 50 करोड़ का पृथक बजट प्रावधान किया गया है एवं विभाग के लिए सूचकांक–1 की अधिकतम सीमा 3 है। ऐसे विभाग के लिए स्थाई स्वरूप की योजनाओं के लिए सकल प्रशासकीय स्वीकृतियों (जिला माईनिंग फण्ड में स्वीकृत परियोजनाओं को छोड़कर) में से इन स्वीकृतियों के विरूद्व वित्तीय वर्ष के प्रारंभ तक हुए व्यय को घटाने पर यह आंकड़ा 250X3= रूपये 750 करोड़ से अधिक नही होना चाहिए। जिला माईनिंग फण्ड से प्राप्त बजटीय संसाधन उस योजनांतर्गत विभाग को स्वीकृत/वित्त पोषित कार्यो के लिए ही व्यय किये जाने चाहिए ।

(ii) प्रशासकीय स्वीकृतियों के लिए वित्तीय आवश्यकता – पूंजीगत कार्यो के लिए प्रशासकीय स्वीकृति हेतु सक्षम वित्तीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले एजेंडा के साथ प्रारूप–3 में जानकारी उपलब्ध कराई जाए ।

(iii) डिपॉजिट वर्क – निर्माण विभागों के डिपॉजिट वर्क्स के तहत "वर्क्स–डिपॉजिट" में राशियॉ जमा की जाती हैं। इन कार्यों में से कुछ कार्य प्रारंभ ही नहीं किये गये है, अथवा कार्य पूर्ण होने के बाद राशि शेष रह गई हैं। अतः ऐसी समस्त शेष राशियां राज्य शासन के राजस्व शीर्ष में दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व जमा की जायें। संबंधित कार्यों में आवश्यकता होने पर ऐसी जमा राशियां, निर्धारित बजट प्रकिया अनुसार उपलब्ध कराई जावेगी।

7/– उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,
10/3/2019
(डॉ मनोज गोविल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

कमॉक : 121 /आर. 50 /चार/ब–7/डीएमसी 2019 भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2019

प्रतिलिपि :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,मध्यप्रदेश लेखा भवन बुक 1 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रारूप–1

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0)/के–डिपॉजिट में जमा राशियॉ

विभाग का नाम :..

स0 क्र0	खाता संधारणकर्ता कार्यालय/अधिकारी	खाते का प्रकार (पी.डी./ के–डिपॉजिट)	01 मार्च 2019 को खाते में उपलब्ध कुल राशि (रूपये में)	कॉलम 4 में से खाते में उपलब्ध अव्ययित राशियॉ (रूपये में)	संचित निधि में जमा कराई गई राशि (रूपये में)	संचित निधि में राशि जमा करने की दिनांक	यदि खता वंद किया हो,तो खाता बंद करने की दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग के अंतर्गत समस्त व्यक्तिगत जमा/के–डिपॉजिट,की जानकारी उपरोक्तानुसार प्रस्तुत है। जिन खातों में केवल अव्ययित राशियॉ उपलब्ध थीं, उनको ऐसी राशि संचित निधि में जमा कर बंद कर दिया गया है । जिन खातों में अंशतः अव्ययित राशियॉ थी, उनमें उपलब्ध समस्त अव्ययित राशियॉ राज्य की संचित निधि में जमा कर दी गई हैं ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
दिनांक

राज्य शासन के विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बैंक खातों में जमा राशियॉ

विभाग का नाम :–..

स0 क्0	कार्यालय जिसके द्वारा खाता संधारित किया जा रहा हैं	बैंक का आईएफएससी कोड़ एवं खाता क्रमॉक	क्या उक्त खाता खोले जाने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त हैं (हॉ/नही)	यदि वित्त विभाग से अनुमति नही है		यदि वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त है अथवा वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक नही है		यदि वित्त विभाग से अनुमति है		अभ्युक्ति
				बैंक खाते में उपलब्ध राशि संचित निधि में जमा करने की दिनांक	खाता बंद करने की दिनांक	खाते में उपलब्ध अव्ययित राशि का आंकलन (रूपये में)	उक्त राशि संचित निधि में जमा करने की दिनांक	एक माह की आवश्यकता से अधिक राशि का आंकलन (रूपये में)	उक्त राशि संचित निधि में जमा करने की दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट 1 :– (बैंक खाते का आशय चालू बैंक खाता/बचत खाता/सावधि जमा अथवा बैंक /अन्य वित्तीय संस्थाओं में रखे गए किसी भी Instrument से हैं)

नोट 2 :– निगम/मंडल/आयोग/विश्व विद्यालय/स्थानीय संस्थाएँ आदि द्वारा स्वंय की स्त्रोतों से प्राप्त धन राशि रखने के लिए अनुमति की आवश्यकता नही है परंतु यदि ऐसी संस्थाओं के किसी बैंक खातों में संचित निधि से प्राप्त शासकीय योजनाओं की अव्ययित राशियॉ रखी है, तो उसका आंकलन कर अव्ययित राशि को राज्य की संचित निधि में जमा करने की कार्यवाही करें।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग के अंतर्गत तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संचालित समस्त बैंक खाते की जानकारी इस प्रारूप में उपलब्ध कराई गई है । जिन खातों को संचालित करने की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं है, उक्त सभी खाते बंद कर राशियॉ संचित निधि में जमा कर दी गई है । जिन खातों को संचालित करने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त है, उनमें एक माह की आवश्यकता का आंकलन कर शेष राशि संचित निधि में जमा कर दी गई हैं । जिन खातों को संचालित करने की अनुमति प्राप्त हैं, अथवा जिन खातों को संचालित करने की अनुमति आवश्यक नहीं है (निकाय/मंडल आदि हेतु) उनमें अव्ययित राशि का आंकलन कर उक्त राशि को संचित निधि में जमा कर दिया गया है ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
दिनांक

प्रारूप–3

पूंजीगत स्वीकृत कार्यो के लिए वित्तीय आवश्यकता

(राशि रूपये लाख में)

विभाग का नाम :..

स0क0	बजटीय योजना का नाम / लेखाशीर्ष	परियोजना / योजना	प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश कमॉक / दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	निकटतम समाप्त वित्तीय वर्ष तक व्यय	शेष आवश्यक राशि (5–6)	वर्षवार आवश्यक राशि / संभावित व्यय राशि			अभ्युक्ति
							2019–20	2020–21	2021–22	
1	2	3	4	5	6	7	8(क)	8(ख)	8(ग)	9
योग										

विभाग के लिए नियत सूचकांक

क0	माप (Value)	अधिकतम सीमा	अभ्युक्ति
सूचकांक 1			
सूचकांक 2			
सूचकांक 3			

नोट 1 – कॉलम 2 एवं 3 में विभाग के अंतर्गत प्रचलित समस्त पूंजीगत स्वरूप के कार्य (जिसकी वित्तीय देयताएँ शेष है) की जानकारी बजट योजनावार सम्मिलित की जाए ।

नोट 2 – कॉलम 8 में यदि आगे के वर्षो में व्यय होना संभावित हो, तो पत्रक में कॉलम 8(घ), 8(ड़.) आदि आवश्यकतानुसार सम्मिलित करें ।

नोट 3 – कॉलम 7 का ऑकड़ा सामान्यतः कॉलम 5 से कॉलम 6 घटाने पर प्राप्त होगा । यदि किसी कारण से इससे भिन्न हो, जैसे निविदा प्रतिशत अधिक आने से, संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने से, आदि तो इसका उल्लेख कॉलम 9 में करें ।

नोट 4 – कॉलम 4 व 5 में परियोजना के लिए जारी नवीनतम (Latest/Revised) प्रशासकीय स्वीकृति, यदि ऐसी स्वीकृति जारी की गई हो, की प्रविष्टि की जाए ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
दिनांक